/183994/2024

संख्याः 183994 /XXX(2)/2024/E-33080

प्रेषक

शैलेश बगौली
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2024

विषयः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में संशोधन विषयक।

महोदय,

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में अधिनियम के क्रियान्वयन मे कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :–

इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमो पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

अतः उपरोक्त समिति द्वारा प्रदत्त संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(3) के सन्दर्भ में सुगम से सुगम पारस्परिक स्थानान्तरण भी किया जा सकेगा किन्तु ऐसे कार्मिकों की वर्तमान सुगम की सेवा अवधि, पारस्परिक स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती स्थान में जोड़ी जायेगी और दोनों स्थानों में जोडकर कुल चार वर्ष की सेवा होने के उपरान्त कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–7(क) की श्रेणी मे माने जायेंगे।

भवदीय,

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 22-01-2024 14:35:16

(शैलेश बगौली)
सचिव।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।



Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 23/01/2024 05:40 PM

2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

4. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।

5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

23.01.24

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।



Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 23/01/2024 05:40 PM